

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03082022-237891
SG-DL-E-03082022-237891असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4]	दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2022/श्रावण 11, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 209
No. 4]	DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2022/SHRAVANA 11, 1944	[N. C. T. D. No. 209

भाग III
PART IIIराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIनई दिल्ली नगरपालिका परिषद्
(स्वास्थ्य प्रतिष्ठान-II)

अधिसूचना

दिल्ली, 1 अगस्त, 2022

सं. फा. ए-42015/4/2017-एच (स्था)-II/D-274(ई).—नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 43 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त धारा 43 की उप-धारा (2) के तहत यथा अपेक्षित संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करने के बाद और उक्त अधिनियम की धारा 387 की उप-धारा (2) के अनुसार केंद्र सरकार के अनुमोदन से, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् एतद्वारा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में यूनानी चिकित्सा संवर्ग के श्रेणी 'क' के पदों पर भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन विनियमों को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्, यूनानी चिकित्सा संवर्ग, श्रेणी 'क' पद, भर्ती विनियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

- (क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
- (ख) "परिषद्" से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अभिप्रेत (एनडीएमसी) है;
- (ग) "नियंत्रक प्राधिकारी" से परिषद् के अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (घ) "विभागीय पुष्टिकरण समिति" से पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए अनुसूची-III में निर्दिष्ट विभागीय पुष्टिकरण समिति अभिप्रेत है।
- (ङ) "विभागीय पदोन्नति समिति" से पदोन्नति के मामलों पर विचार करने के लिए अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति अभिप्रेत है;
- (च) "झूटी पोस्ट" से कोई भी पद जैसा कि अनुसूची-I में निर्दिष्ट किया गया है, अभिप्रेत है;
- (छ) "डायनामिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसन (डीएसीपी) स्कीम" से यूनानी चिकित्सकों के लिए आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय जापन संख्या Z.28015/4/2008-E-I (आयुष), दिनांक 25 अप्रैल, 2011 एवं कार्यालय जापन संख्या- Z.28015/4/2008-E-I दिनांक 5 सितंबर, 2014 के तहत परिकल्पित डीएसीपी स्कीम अभिप्रेत है।
- (ज) "ग्रेड" से अनुसूची-I में निर्दिष्ट ग्रेड अभिप्रेत है;
- (झ) "अनुसूची" से इन विनियमों की अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ञ) 'अनुसूचित जातियां', 'अनुसूचित जनजातियां', 'अन्य पिछड़ा वर्ग', 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' और 'दिव्यांगजन' पदों का वही अर्थ होगा जो उनके लिए संविधान और संसद के लागू अधिनियमों में दिया गया है;

3. संवर्ग का गठन- (1) इन विनियमों के लागू होने की तारीख से, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में एक यूनानी चिकित्सा संवर्ग का गठन किया जाएगा, जिसमें इन विनियमों की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट पदों की श्रेणियां शामिल होंगी।

(2) उक्त संवर्ग में श्रेणी, वेतन मैट्रिक्स में स्तर और पदों की संख्या अनुसूची-I में यथा-विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

(3) उक्त संवर्ग में शामिल सभी झूटी पोस्टों को श्रेणी 'क' के पदों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

4. प्राधिकृत संख्या- (1) इन विनियमों के लागू होने की तारीख से संवर्ग के विभिन्न ग्रेडों में शामिल झूटी पद की संख्या अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी।

(2) विभिन्न ग्रेडों में झूटी पदों की संख्या वह होगी जो समय-समय पर परिषद् द्वारा अवधारित की जाएगी।

(3) परिषद् समय-समय पर विभिन्न ग्रेडों में झूटी पोस्टों की संख्या में आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी परिवर्धन या कटौती कर सकती है।

(4) परिषद्, आयोग के परामर्श से, इन विनियमों में शामिल पदों से भिन्न किसी भी पद को शामिल कर सकती है या इन विनियमों में शामिल किसी पद को हटा सकती है।

(5) परिषद्, आयोग के परामर्श से, ऐसे अधिकारी को उपयुक्त ग्रेड में अस्थायी हैसियत में या वास्तविक हैसियत में, जैसा कि उचित समझा जाए, नियुक्त कर सकती है जिसका पद इन विनियमों के उप-विनियम (4) के अधीन शामिल है, और अनुरूप ग्रेड में निरंतर नियमित सेवा को ध्यान में रखते हुए ग्रेड में उसकी वरिष्ठता निर्धारित कर सकती है।

5. प्रारंभिक संविधान- (1) इन विनियमों के लागू होने या उससे पहले परिषद् में नियमित आधार पर यूनानी चिकित्सा संवर्ग के श्रेणी 'क' पदों को धारण करने वाले सभी मौजूदा अधिकारियों को इन विनियमों के अधीन संबंधित ग्रेडों में नियुक्त किया गया समझा जाएगा, परंतु यह कि उनके पास अपेक्षित अर्हताएं हों।

(2) इन विनियमों के लागू होने से पहले उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों की नियमित निरंतर सेवा को परीक्षा अवधि, पदोन्नति और पुष्टिकरण के लिए अर्हता प्राप्त सेवा, पेंशन या राष्ट्रीय पेंशन योजना के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

6. संवर्ग का भावी अनुरक्षण- (1) अनुसूची-I में निर्दिष्ट किसी भी ग्रेड में रिक्तियों को इन विनियमों के अधीन इसके उपरांत यथा-उपबंधित रीति से भरा जाएगा।

- (2) संवर्ग में शामिल पदों पर नियुक्ति या पदोन्नति के लिए ठीक नीचे के ग्रेड या ग्रेडों, जैसा भी मामला हो, में न्यूनतम अर्हक सेवा सहित भर्ती की प्रविधि, पदोन्नति के लिए चयन का क्षेत्र अनुसूची-II में यथा-विनिर्दिष्ट होगा।
- (3) संवर्ग में उच्च पदों पर विभागीय पदोन्नति अनुसूची-III में निर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर ठीक नीचे के ग्रेड या ग्रेडों, जैसा भी मामला हो, में संवर्ग के अधिकारियों में से की जाएगी।
- (4) यूनानी चिकित्सक के ग्रेड में रिक्तियों को आयोग के परामर्श से अनुसूची-II में यथा-उपबंधित सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।
- (5) संवर्ग में झूटी पदों की नियुक्ति के लिए आयु-सीमा के साथ-साथ न्यूनतम शिक्षा एवं अन्य अर्हताएं अनुसूची-IV में यथा विनिर्दिष्ट होगा।
- (6) यूनानी चिकित्सक, वरिष्ठ यूनानी चिकित्सक, मुख्य यूनानी चिकित्सक, मुख्य यूनानी चिकित्सक (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) और मुख्य यूनानी चिकित्सक (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) के पद पदोन्नति के उद्देश्य से संवर्ग के भीतर अंतर्विनिमेय होंगे।
- (7) उप-विनियम (4) में विनिर्दिष्ट 'प्रवेश ग्रेड के भिन्न' ग्रेडों में पदोन्नति डायनेमिक एश्योर्ड सुनिश्चित करियर प्रोग्रेसन योजना के अनुरूप रिक्तियों से बिना किसी अंतर्संबंध के होगी।

7. अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा झूटी पदों को भरना- (1) विनियम 6 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां एनडीएमसी का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से और आयोग के परामर्श से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन सदृश पदों पर पदस्थ उपयुक्त अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा और सांविधिक निकायों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन सदृश पदों पर पदस्थ उपयुक्त अधिकारी के अल्पकालिक संविदा द्वारा यूनानी संवर्ग में यूनानी चिकित्सक के ग्रेड में पांच प्रतिशत से अधिक झूटी पदों को नहीं भर सकता है।

- (2) प्रतिनियुक्ति आधार पर झूटी पद पर नियुक्ति के लिए, अधिकारी को, अन्य बातों के साथ, अनुसूची-IV में पदों के लिए विहित न्यूनतम शिक्षा और अन्य योग्यताओं को पूरा करना होगा।
- (3) यह प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक अनुबंध तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी, जिसे विशेष परिस्थितियों में और लिखित रूप में दर्ज किए गए कारणों से, एनडीएमसी द्वारा उचित समझे जाने पर पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

8. परीक्षा- (1) सीधी भर्ती द्वारा यूनानी चिकित्सा संवर्ग में यूनानी चिकित्सक के स्तर पर नियुक्त व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगा:

परंतु यह कि एनडीएमसी इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार परीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है:

परंतु यह और कि, किसी अधिकारी की परीक्षा अवधि के विस्तार के लिए कोई भी निर्णय प्रारंभिक परीक्षा अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद और आमतौर पर आठ सप्ताह के भीतर लिया जाएगा और संबंधित अधिकारी को लिखित रूप में उक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के कारणों के साथ सूचित किया जाएगा।

- (2) परीक्षा अवधि या उसके किसी विस्तार के पूरा होने पर, अधिकारी को, यदि स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है, भारत सरकार के लागू आदेशों के अनुसार स्थायी किया जाएगा।
- (3) जहां, परीक्षा अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान, जैसा भी मामला हो, एनडीएमसी की राय है कि एक अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, वह ऐसे अधिकारी को यथास्थिति सेवामुक्त कर सकता है या संवर्ग में उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर वापस भेज सकता है।
- (4) परीक्षा अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान, अधिकारी को एनडीएमसी द्वारा प्रशिक्षण के ऐसे पाठ्यक्रमों से गुजरना पड़ सकता है या परीक्षा के संतोषजनक समापन की शर्त के रूप में ऐसी परीक्षाओं या परीक्षणों को उत्तीर्ण करने की, जैसा भी उचित समझा जाए, आवश्यकता हो सकती है।
- (5) परीक्षा से संबंधित अन्य विषयों के संबंध में, संवर्ग के सदस्य भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों द्वारा शासित होंगे।

9. वरिष्ठता- (1) संबंधित संवर्ग में अधिकारियों की सापेक्ष ज्येष्ठता इन विनियमों के लागू होने पर विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत आरंभिक संविधान के अनुसार अवधारित की जाएगी:

परंतु यह कि यदि किसी ऐसे अधिकारी की ज्येष्ठता उक्त तिथि को विशेष तौर पर अवधारित नहीं की गई थी, इसका अवधारण ज्येष्ठता तय करने वाले नियमों के आधार पर किया जाएगा जैसा कि यह इन विनियमों के लागू होने से पूर्व लागू है।

(2) विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों से भिन्न अधिकारियों की ज्येष्ठता केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(3) विनियम 4 के उप-विनियम (5) के अनुसार नियुक्त अधिकारियों की ज्येष्ठता उक्त उप-विनियम में यथा उपबंधित रीति में तय की जाएगी।

(4) उन मामलों में, जो उप-विनियम (1) (2) और (3) के अधीन नहीं आते हैं, आयोग के परामर्श से परिषद् द्वारा ज्येष्ठता अवधारित की जाएगी।

(5) आरंभिक संविधान के अनुसार नियुक्ति से पहले संविदा या तदर्थ आधार पर काम करने वाले अधिकारियों द्वारा आहरित वेतन वृद्धि के लिए दी गई सुरक्षा, यदि कोई हो, पर उक्त प्रारंभिक संविधान के अनुसार उनकी नियुक्ति के उपरांत टाइम स्केल आधार पर पदोन्नति पर विचार करने हेतु सेवा की अवधि या ज्येष्ठता के अवधारण के लिए ध्यान में नहीं लिया जाएगा।

10. संवर्ग में नियुक्ति- यूनानी चिकित्सा संवर्ग में सभी नियुक्तियां नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी।

11. सेवा का दायित्व- इन विनियमों के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति परिषद् क्षेत्रों की अधिकारिता में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

12. निजी व्यवसाय का प्रतिषेध- (1) इन विनियमों के अधीन किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति को परामर्श और प्रयोगशाला कार्य सहित निजी व्यवसाय की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परंतु यह कि ऐसे व्यक्ति भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दरों पर गैर-व्यवसाय भत्ते के हकदार होंगे।

13. निरर्हता- (1) कोई व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, यूनानी संवर्ग में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यह कि परिषद्, का यदि समाधान हो कि इस तरह के विवाह को ऐसे व्यक्ति और विवाह कर रहे दूसरे पक्ष को लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमति है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस विनियम के प्रचालन से छूट दी जा सकती है।

14. सेवा की अन्य शर्तें- इन विनियमों में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट नहीं किए गए मामलों के संबंध में यूनानी चिकित्सा संवर्ग के सदस्यों की सेवा की शर्तें, यथोचित परिवर्तनों-सहित और संवर्ग के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी विशेष आदेश के अधीन होंगी, जैसा कि सामान्य रूप से परिषद् के अधिकारियों पर लागू होता है।

15. शिथिल करने की शक्ति- जहां परिषद् की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए तथा आयोग के परामर्श से और केंद्र सरकार के अनुमोदन से, इन विनियमों के किसी भी उपबंधों को शामिल कर सकती है।

16. व्यावृत्ति- इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश के अनुसार, इन विनियमों में की गई कोई भी बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए प्रदान की जाने वाली आवश्यक रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

17. निर्वचन- यदि इन विनियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा इसका निर्णय किया जाएगा।

अनुसूची-I**(विनियम 3, 4 और 6 देखें)**

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में यूनानी चिकित्सा संवर्ग में शामिल श्रेणी पद, वेतन मैट्रिक्स में स्तर और पदों की संख्या:

क्र.सं.	श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	पदों की सं.
(1)	(2)	(3)	(4)
यूनानी चिकित्सा संवर्ग			
1.	मुख्य यूनानी चिकित्सक (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड)	7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (144200-218200 रुपये) और नॉन-प्रेक्टिसिंग भत्ता जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए।	-
2.	मुख्य यूनानी चिकित्सक (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड)	7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (123100-215900 रुपये) और नॉन-प्रेक्टिसिंग भत्ता जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए।	-
3.	मुख्य यूनानी चिकित्सक	7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800-209200 रुपये) और नॉन-प्रेक्टिसिंग भत्ता जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए।	-
4.	वरिष्ठ यूनानी चिकित्सक	7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67700-208700 रुपये) और नॉन-प्रेक्टिसिंग भत्ता जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए।	-
5.	यूनानी चिकित्सक	7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100-177500 रुपये) और नॉन-प्रेक्टिसिंग भत्ता जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए।	2*

*** कार्यभार की भिन्नता के अधीन।**

टिप्पणी:- यूनानी चिकित्सा के संवर्ग में पदों को उक्त दो पदों की कुल संयुक्त स्वीकृत संख्या के भीतर मुख्य यूनानी चिकित्सक (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड), मुख्य यूनानी चिकित्सक (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड), मुख्य यूनानी चिकित्सक, वरिष्ठ यूनानी चिकित्सक और यूनानी चिकित्सक की श्रेणियों में प्रचालित किया जाना है।

अनुसूची-II**(विनियम 6 देखें)**

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में यूनानी चिकित्सा संवर्ग में ड्यूटी पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति या पदोन्नति के लिए ठीक नीचे के ग्रेड या ग्रेडों में भर्ती की प्रविधि, पदोन्नति के लिए चयन का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा:

क्र.सं.	पदनाम और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	नियुक्ति की प्रविधि	चयन का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)
यूनानी चिकित्सा संवर्ग			
1.	मुख्य यूनानी चिकित्सक (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (144200-218200/- रु.)	रिक्तियों को जोड़े बिना स्व-स्थाने आधार पर पदोन्नति द्वारा।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (123100-215900/-) में मुख्य यूनानी चिकित्सक (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) - (i) उस ग्रेड में सात वर्ष की नियमित सेवा के साथ; या (ii) यूनानी चिकित्सक में बीस वर्ष की नियमित सेवा के साथ।

2.	मुख्य यूनानी चिकित्सक (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (123100-215900/- रु.)	रिक्तियों को जोड़े बिना स्व-स्थाने आधार पर पदोन्नति द्वारा।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200/- रु.) में चार वर्ष की नियमित सेवा के साथ वरिष्ठ यूनानी चिकित्सक।
3.	मुख्य यूनानी चिकित्सक वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800-209200/- रु.)	रिक्तियों को जोड़े बिना स्व-स्थाने आधार पर पदोन्नति द्वारा।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700-2,08,700/- रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ मुख्य यूनानी चिकित्सक।
4.	वरिष्ठ यूनानी चिकित्सक वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67700-208700/- रु.)	रिक्तियों को जोड़े बिना स्व-स्थाने आधार पर पदोन्नति द्वारा।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500/- रु.) में चार वर्ष की नियमित सेवा के साथ यूनानी चिकित्सक।
5.	यूनानी चिकित्सक वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100-177500/- रु.)	सीधी भर्ती द्वारा	अनुसूची- IV में यथा-विहित आयु-सीमा और शैक्षिक योग्यता आदि के अनुसार सीधी भर्ती आयोजित की जाएगी।

नोट: जहां कनिष्ठ जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे अपेक्षित अर्हक सेवा से ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हों, जो भी कम हो, और अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

अनुसूची-III

[विनियम 6(3) देखें]

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में यूनानी चिकित्सा संवर्ग में ड्यूटी पदों पर पदोन्नति या स्थायीकरण के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय समितियाँ:

क्र.सं.	पद का वर्ग	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना	समूह 'ए' विभागीय स्थायीकरण समिति की संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
यूनानी चिकित्सा संवर्ग			
1.	मुख्य मुख्य यूनानी चिकित्सक (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) स्तर 14	(i) अध्यक्ष, एनडीएमसी: अध्यक्ष; (ii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से वेतन मैट्रिक्स में स्तर -15 या उससे ऊपर का एक अधिकारी: सदस्य (iii) गृह मंत्रालय से वेतन मैट्रिक्स में स्तर -15 या उससे ऊपर का एक अधिकारी: सदस्य।	लागू नहीं
2.	मुख्य यूनानी चिकित्सक (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) स्तर 13	(i) अध्यक्ष, एनडीएमसी: अध्यक्ष; (ii) वित्तीय सलाहकार एनडीएमसी: सदस्य; (iii) निदेशक (आयुष) अथवा निदेशक (चिकित्सा सेवाएं): सदस्य।	लागू नहीं

3.	मुख्य यूनानी चिकित्सक स्तर 12	(i) सचिव, एनडीएमसी: अध्यक्ष; (ii) वित्तीय सलाहकार एनडीएमसी: सदस्य; (iii) निदेशक (आयुष) अथवा निदेशक (चिकित्सा सेवाएं): सदस्य।	लागू नहीं
4.	वरिष्ठ यूनानी चिकित्सक सर्जन स्तर 11	(i) सचिव, एनडीएमसी: अध्यक्ष; (ii) वित्तीय सलाहकार एनडीएमसी: सदस्य; (iii) निदेशक (आयुष) अथवा निदेशक (चिकित्सा सेवाएं): सदस्य।	लागू नहीं
5.	यूनानी चिकित्सक स्तर-10	लागू नहीं	(i) सचिव, एनडीएमसी: अध्यक्ष; (ii) वित्तीय सलाहकार एनडीएमसी: सदस्य; (iii) निदेशक (आयुष) अथवा निदेशक (चिकित्सा सेवाएं): सदस्य। (iv) निदेशक (कार्मिक), एनडीएमसी: सदस्य।

अनुसूची-IV

[विनियम 6(5) और अनुसूची-II देखें]

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में यूनानी चिकित्सा संवर्ग में ऊँची पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा के साथ न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:

ऊँची पद और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	आयु-सीमा	न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
यूनानी चिकित्सक , वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100-177500/- रु.)	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं ! (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के संबंध में पांच वर्ष तक की छूट)।	(क) भारतीय चिकित्सा प्रणाली अधिनियम, 2020 (2020 का 14) के लिए राष्ट्रीय आयोग के तहत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या वैधानिक राज्य बोर्ड या परिषद या भारतीय चिकित्सा संकाय से यूनानी चिकित्सा में स्नातक की डिग्री। (ख) भारतीय चिकित्सा के केंद्रीय रजिस्टर या भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में नामांकन

टिप्पणी: (1) आयु सीमा अवधारित करने की महत्वपूर्ण तारीख आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुरूप होगी।

2. योग्यता अभ्यर्थियों अन्यथा सुयोग्य के मामले में छूट देना आयोग के विवेकाधिकार में हैं।

अजय कुमार, निदेशक (कार्मिक)

NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL**(Health Establishment-II)****NOTIFICATION**

Delhi, the 1st August, 2022

No. F.A-42015/4/2017-H(Estt.)-II/D-274(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 43 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994) and after consultation with the Union Public Service Commission as required under sub-section (2) of the said section 43 and with the approval of the Central Government in terms of sub-section(2) of section 387 of the said Act, the New Delhi Municipal Council hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to category ‘A’ posts of Unani Physician Cadre in the New Delhi Municipal Council, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the New Delhi Municipal Council, Unani Physician Cadre, Category ‘A’ posts, Recruitment Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions- In these regulations, unless the context otherwise requires.-

(a) “Commission” means the Union Public Service Commission;

(b) “Council means” the New Delhi Municipal Council(NDMC);

(c) “Controlling Authority” means the Chairperson of the Council;

(d) “Departmental Confirmation Committee” means a Departmental Confirmation Committee as specified in Schedule-III for considering cases of confirmation;

(e) “Departmental Promotion Committee” means a Departmental Promotion Committee as specified in Schedule-III for considering cases of promotion;

(f) “Duty Post” means any category of post, as specified in Schedule-I;

(g) “Dynamic Assured Career Progression (DACP) Scheme” means the DACP scheme for Unani Physician Doctors as conceptualized, vide the Ministry of Ayush, Government of India, Office Memorandum No.Z.28015/4/2008-E-I (Ayush), dated the 25th April, 2011 and Office Memorandum No.Z.28015/4/2008-E.I (Ayush), dated the 25th April, 2011 and Office Memorandum No.Z.28015/4/2008-E-I, dated the 5th September 2014.

(h) “Grade” means the grades as specified in Schedule-I;

(i) The expressions ‘Schedule Castes’, ‘Schedule Tribes’, ‘Other Backward Classes’, ‘Economically Weaker Section’ and ‘Persons with Disabilities’ shall have the same meaning as assigned to them in the Constitution and applicable Acts of Parliament;

(j) “Schedule” means a Schedule appended to these regulations.

3. Constitution of the Cadre.— (1) With effect from the date of commencement of these regulations, a Unani Physician Cadre in the New Delhi Municipal Council shall stand constituted, consisting of the categories of posts as specified in Schedule-I to these regulations;

(2) The category, level in the pay matrix and the number of posts in the said cadre shall be as specified in the Schedule-I;

(3) All Duty posts included in the said cadre shall be classified as Category ‘A’ posts.

4. Authorized Strength.— (1) The number of Duty Post included in various grades of the cadre on the date of commencement of these regulations shall be as specified in Schedule-I;

(2) The number of the Duty Posts in various grades shall be such as may, from time to time, be determined by the Council;

(3) The Council may make temporary additions to or reductions in, the number of the Duty Posts in the various grades as deemed, necessary from time to time;

(4) The Council may, in consultation with the Commission, include any posts other than those included in these regulations or exclude a post included in these regulations.

(5) The Council may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included under sub-regulation (4) of these regulations, to the appropriate grade in a temporary capacity or in a substantive capacity as may be deemed fit, and fix his seniority in the grade after taking into account continuous regular service in the analogous grade.

5. Initial Constitution.- (1) All the existing officers holding Duty Post of Unani Physician Cadre in Council on regular basis on or before the commencement of these regulations shall be deemed to have been appointed under these regulations in respective grades provided that they possess requisite qualifications;

(2) The regular continuous service of officers referred to in sub-regulation (1) before the commencement of these regulations shall be counted for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension or National Pension Scheme.

6. Future Maintenance of the Cadre.- (1) The vacancies in any of the grades referred to in Schedule-I shall be filled in the manner as hereinafter provided under these regulations;

(2) The method of recruitment, the field of selection for promotion, including the minimum qualifying service in the immediate lower grade or lower grades, as the case may be, for appointment or promotion, to the posts included in the cadre shall be as specified in Schedule-II;

(3) The departmental promotions to higher posts in the cadre shall be made from among the officers of the cadre in the immediate lower grade or lower grades, as the case may be, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee;

(4) The vacancies in the grades of Unani Physician shall be filled by direct recruitment as provided in the Schedule-II, in consultation with the Commission;

(5) The minimum educational and other qualifications, along with the age-limit for appointment to Duty Posts in the cadre by direct recruitment shall be as specified in Schedule-IV;

(6) The posts of Unani Physician, Senior Unani Physician, Chief Unani Physician, Chief Unani Physician(Non-Functional Selection Grade) and Chief Unani Physician(Senior Administrative Grade) shall be interchangeable within the cadre for the purpose of promotion;

(7) Promotion to the grades, other than entry grade, referred to in sub-regulation (4) shall be without linkage to vacancies in accordance with Dynamic Assured Career Progression Scheme.

7. Filling of Duty Posts by Deputation including short term contract.- (1) Notwithstanding anything contained in regulation 6, where the NDMC is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission fill up not more than five percent of Duty Posts in the grade of Unani Physician in Unani Physician Cadre by deputation of suitable officers holding analogous posts under the Central Government or State Government or Union Territories and by short-term contract of suitable officer holding analogous posts under the Statutory bodies, Autonomous bodies, Public Sector Undertaking, Universities or recognized Research Institutions;

(2) For appointment to Duty Post on deputation basis, the officer shall, among others, fulfill the minimum education and other qualifications prescribed for the posts in Schedule-IV;

(3) The deputation or short term contract shall be for a period not exceeding three years, which may, in special circumstances and for reasons to be recorded in writing, be extended upto five years as the NDMC may think fit.

(8) Probation.- (1) A person appointed to the cadre in the level of Unani Physician, by direct recruitment, shall be on probation for a period of two years;

Provided that the NDMC may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government of India from time to time in this behalf;

Provided further that any decision for extension of the period of probation of an officer shall be taken immediately after the expiry of initial period of probation and ordinarily within eight weeks and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period;

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, the officer shall, if considered fit for permanent appointment, be confirmed in terms of the extant orders of the Government of India;

(3) Where, during the period of probation or any extension thereof as the case may be, the NDMC is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment; it may discharge such officer or revert him to the post held by him prior to his appointment in the cadre, as the case may be;

(4) During the period of probation or any extension thereof, officer may be required by the NDMC to undergo such courses of training or to pass such examinations or tests as may be deemed fit, as a condition of satisfactory completion of the probation;

(5) As regard other matters relating to probation, the members of the cadre shall be governed by the orders or instructions issued by the Government of India in this regard from time to time.

9. Seniority.— (1) The relative seniority of officers in the cadre shall be determined in terms of the initial constitution under sub-regulation (1) of regulation 5 on the commencement of these regulations;

Provided that if the seniority of any such officer had not been specifically determined on the said date, the same shall be determined on the basis of the rules governing the fixation of seniority as were applicable prior to the commencement of these regulations.

(2) The seniority of officers other than those appointed under sub-regulation (1) of regulation 5 shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Central Government in this regard from time to time;

(3) The seniority of officers appointed in accordance with sub-regulation (5) of regulation 4 shall be fixed in the manner as provided in the said sub-regulation;

(4) In cases, which are not covered under sub-regulations (1) (2) and (3), the seniority shall be determined by the Council in consultation with the Commission.

10. Appointment to the Cadre.—All appointments to the Unani Physician Cadre shall be made by the Controlling Authority.

11. Liability for service.— Any person appointed to any post under these regulations shall be liable to serve anywhere in the jurisdiction of Council areas.

12. Prohibition of private practice.—(1) No person appointed to any post under these regulations shall be permitted private practice including consultancy and laboratory practice;

Provided that such persons shall, however, be entitled to a non-practicing allowance at the rates specified by Government of India from time to time.

13. Disqualification.— (1) No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the Unani Physician Cadre;

Provided that the Council may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

14. Other conditions of Service.—The conditions of service of the members of the Unani Physician Cadre in respect of matters not expressly provided for in these regulations, shall, *mutatis mutandis* and subject to any special orders issued by the Central Government in respect of the Cadre, be the same as those applicable to officers of the Council in general.

15. Power to relax.— Where Council is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission and with the approval of the Central Government, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

16. Saving.— Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Section, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

17. Interpretation.—If any question relating to the interpretation of these regulations arises, it shall be decided by the Central Government in consultation with the Commission.

SCHEDULE-I

(See regulations 3, 4 and 6)

The Category of posts, their grades, level in the pay matrix and number of posts included in the Unani Physician Cadre in the New Delhi Municipal Council.

Sl. No.	Category of posts and their grades	Level in the pay matrix	Number of posts
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Chief Unani Physician (Senior Administrative Grade)	Level-14 in the 7 th CPC pay matrix (Rs.144200-218200) plus non-practicing allowance as specified by the Central Government from time to time.	---
2.	Chief Unani Physician (Non Functional Selection Grade)	Level-13 in the 7 th CPC pay matrix (Rs.123100-215900) plus non-practicing allowance as specified by the Central Government from time to time.	---
3.	Chief Unani Physician	Level-12 in the 7 th CPC pay matrix (Rs.78800-209200) plus non-practicing allowance as specified by the Central Government from time to time.	---
4.	Senior Unani Physician	Level-11 in the 7 th CPC pay matrix (Rs.67700-208700) plus non-practicing allowance as specified by the Central Government from time to time.	---
5.	Unani Physician	Level-10 in the 7 th CPC pay matrix (Rs.56100-177500) plus non-practicing allowance as specified by the Central Government from time to time.	2*

* Subject to variation dependent on workload.

Note: The posts in the cadre are to be operated in the categories of Unani Physician, Senior Unani Physician, Chief Unani Physician, Chief Unani Physician (Non-Functional Selection Grade) and Chief Unani Physician (Senior Administrative Grade) within the total combined sanctioned strength of the said two posts.

SCHEDULE-II

(See regulations 6)

The method of recruitment, field of selection for promotion and minimum qualifying service in the immediate lower grade or lower grades for appointment or promotion of officers to Duty Posts in the Unani Physician Cadre in the New Delhi Municipal Council.

Sl. No.	Name of the Post and Pay Level in Pay Matrix	Method of appointment	Field of selection and minimum qualifying service
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Chief Unani Physician (Senior Administrative Grade)	By promotion on <i>in-situ</i> basis without linkage to vacancies.	Chief Unani Physician (Non Functional Selection Grade) in level-13 (Rs.123100-215900) in the pay matrix.-

	Level-14 in the pay matrix (Rs.144200-218200).		(i) with seven years of regular service in the grade; or (ii) with twenty years of regular service in the Medical Officer (Unani Physician Cadre).
2.	Chief Unani Physician (Non Functional Selection Grade) Level-13 in pay matrix (Rs.123100-215900).	By promotion on <i>in-situ</i> basis without linkage to vacancies.	Chief Unani Physician with four years of regular service in Level-12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix.
3.	Chief Unani Physician Level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	By promotion on <i>in-situ</i> basis without linkage to vacancies.	Senior Unani Physician with five years of regular service in Level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix.
4.	Senior Unani Physician Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).	By promotion on <i>in-situ</i> basis without linkage to vacancies.	Unani Physician with four years of regular service in level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix.
5.	Unani Physician Level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500)	By direct recruitment	Direct Recruitment to be conducted as per the age-limit and educational qualifications, etc. as specified in Schedule-IV.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

SCHEDULE-III

[See regulations 6(3)]

Departmental Committees for considering the cases of Promotion or Confirmation to the Duty Posts in the Unani Physician Cadre in the New Delhi Municipal Council.

Sl. No.	Category of Post	Composition of Group 'A' Departmental Promotion Committee	Composition of Group 'A' Departmental Confirmation Committee
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Chief Unani Physician (Senior Administrative Grade) level-14.	(i) Chairperson, NDMC : Chairman; (ii) An Officer in level-15 in the pay matrix or above from the Ministry of Health and Family Welfare: Member; (iii) An Officer in level-15 in the pay matrix or above from the Ministry of Home Affairs: Member.	Not applicable.
2.	Chief Unani Physician (Non Functional	(i) Chairperson, NDMC : Chairman; (ii) Financial Advisor, NDMC : Member; (iii) Director (Ayush) or Director (Medical	Not applicable.

	Selection Grade) Level-13.	Services), NDMC: Member.	
3.	Chief Unani Physician Level-12.	(i) Secretary, NDMC : Chairman; (ii) Financial Advisor, NDMC : Member; (iii) Director (Ayush) or Director (Medical Services), NDMC : Member.	Not applicable.
4.	Senior Unani Physician Level-11.	(i) Secretary, NDMC : Chairman; (ii) Financial Advisor, NDMC : Member; (iii) Director (Ayush) or Director (Medical Services): Member.	Not applicable.
5.	Unani Physician Level-10.	Not applicable.	(i) Secretary, NDMC : Chairman; (ii) Financial Advisor, NDMC: Member; (iii) Director (Ayush) or Director (Medical Services): Member; (iv) Director(Personnel), NDMC: Member.

SCHEDULE-IV**[See regulation 6(5) and Schedule-II]**

Minimum educational and other qualifications, along with age-limit for Direct Recruitment to the Duty Posts in the NDMC Unani Physician Cadre.

Duty Post and Pay Level in Pay Matrix.	Age-Limit.	Essential Qualification and other qualifications.
Unani Physician Level-10 in Pay matrix (Rs.56100-177500).	Not exceeding thirty-five years. (Relaxable upto five years in respect of Government servants, in accordance with instructions or orders issued by the Central Government.)	(a) Bachelors degree in Unani Medicine from a recognized university or Statutory State Board or Council or Faculty of Indian Medicine recognized under the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020); (b) Enrolment on the Central Register of Indian Medicine or State Register of Indian Medicine.

Note: (1) The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Commission;

(2) The qualifications are relaxable at the discretion of the Commission in case of candidates otherwise well qualified.

AJAY KUMAR, Director (Personnel)